(7)

संख्या–वे0आ0–2 –254 / दस–62(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–3282 / दस–62(एम) / 2008, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा की गयी। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2(1)(क) के परन्तुक में निम्न व्यवस्था उपलब्ध है :–

"किसी पद का वेतनमान / ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान / ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान / ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।"

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त पद का वेतनमान / ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने पर तत्क्रम में वेतनमान / ग्रेड वेतन की अनुमन्यता से सम्बन्धित स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध नही है। विभिन्न श्रोतों से उक्त बिन्दु पर स्पष्ट व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2(1)(क) के परन्तुक के नीचे निम्न परन्तुक जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

किसी पद पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि पद का वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन उच्चीकृत / संशोधित होता है तो ऐसे उच्चीकरण / संशोधन की तिथि से सम्बन्धित पद पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत

पूर्व से अनुमन्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के स्थान पर, सम्बन्धित पद पर अनुमन्य उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आलोक में, उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

टिप्पणी– उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित उदाहरण संलग्नक–(1) पर उपलब्ध है।

3– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

254

पृष्ठांकन संख्या–वेआ0–2– (1)/दस–62(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
6– वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त वित्त (व्यय नियंत्रण) तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग।
9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
13– निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी मदरसाज, उत्तर प्रदेश, इलहाबाद।
14– समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
15– उत्तर प्रदेश के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
16– प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद।
17– प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर।
18– कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल, इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005
19– रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

20– निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।
21– निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।
22– निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
23– प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
24– प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
25– प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
26– प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
27– प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
28– प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
29– व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
30– पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
31– संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन कचहरी रोड, इलाहाबाद।
32– चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
33– नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
34– कार्मिक नियमावली सेल।
35– निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
36– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2– 254 /दस–62(एम)2008टी0सी0, दिनांक 17 फरवरी, 2011 का संलग्नक

उदाहरण–1

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड रू0 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन रू0 1300/– के स्थान पर दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/– अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी :––

1–	समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440–7440 एवं रू0 1300/–
2–	दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को अनुसेवक "ए" को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440–7440 एवं रू0 1300/–
3–	समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व	
	(i) अनुसेवक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440–7440 एवं रू0 1650/–
	(ii) अनुसेवक "सी" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200–20200 एवं रू0 1900/–
4–	ए0सी0पी0 के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से	
	(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440–7440 एवं रू0 1400/–
	(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200–20200 एवं रू0 1800/–
	(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200–20200 एवं रू0 2000/–
5–	दिनांक 08 सितम्बर, 2010 को समूह "घ" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200–20200 एवं रू0 1800/–
6–	समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से	
	(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के	रू0 5200–20200

		रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	एवं रू0 1900/–
	(ii)	अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200–20200 एवं रू0 2000/–
	(iii)	अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200–20200 एवं रू0 2400/–

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 151 सा0 वित्त–23–2–2011–(2456)–5,000+2 प्रतियां (ऑफसेट)।